अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3,महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013 जयपुर दिनांक 21 MAR 2015

जिला कलैक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा, समस्त जिला।

विषय – वर्ष 2014–15 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से दिये जाने बावत्।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत हाल ही में राज्य में अधिकतर स्थानों पर भीषण ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुँचने के साथ जन–धन की हानि हुई है। इस आपदा को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को दिनांक 31 मार्च 2015 तक श्रमिकों की मांग पर अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध कराया जावे। प्रभावित ग्राम पंचायतों का चयन आपके स्तर पर किया जावें। अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत् समस्त प्रक्रियाऐं महात्मा गांधी नरेगा योजना के समान रहेगी। निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होगें।

21/3/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि – वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा0वि एवं पं0रा0वि0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं परावि।
5. संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य मद से उक्तानुसार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत् नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान तत्काल कराने का श्रम करावें।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस कार्यालय हाजा से अनुरोध है कि राज्य मद उक्तानुसार अतिरिक्त रोजगार हेतु राज्य मद की आवश्यक राशि की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराने का श्रम करावें।
7. एम.आई.एस. शाखा कार्यालय हाजा से अनुरोध है कि राज्य मद से उक्तानुसार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान तत्काल कराने का श्रम करावें।
8. मुख्यालय के समस्त जिला प्रभारी अधिकारी/ जन सम्पर्क अधिकारी।
9. अति. जिला कार्यक्रम कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.समस्त।
10. अति. जिला कार्यक्रम कार्यक्रम समन्वयक,ईजीएस जयपुर/ जोधपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त।
12. परियोजना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, ईजीएस, समस्त।
13. एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई–मेल करने एवं वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. गार्ड फाईल।

21/3/15
परि.निदे.एवं उप सचिव ईजीएस,